प्र.स.:- 01/2023
(GCMS 2023/32)
दायर दिनांक 04.07.2023
निर्णय दिनांक :- 14.02.2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 01/2023 (GCMS 2023/32)

प्रकरण दायर दिनांक :- 04.07.2023

1. दीपक पुत्र कजोड
2. कृष्ण पुत्र कजोड
3. राजेन्द्र पुत्र कजोड
4. रामवती पत्नि कजोड
5. कमलेश पुत्री कजोड
6. प्रेम पुत्री कजोड

समस्त जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा।

(अपीलान्ट्स)

बनाम

1. ग्राम पंचायत लवाण तहसील लवाण जिला दौसा जरिए सरपंच।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा।

(रेस्पोडेन्ट्स)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत नामान्तकरण संख्या-2088 दिनांक 05.05.2022 ग्राम पंचायत लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

उपस्थिति:- 1 अपीलान्ट्स संख्या 01 स्वंय उपस्थित।

:: निर्णय :: दिनांक : 14.02.2024

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.03.06 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

प्र.स.:- 01/2023
(GCMS 2023/32)
दायर दिनांक 04.07.2023
निर्णय दिनांक :- 14.02.2024

अपीलान्ट्स की ओर से यह अपील इस आशय की पेश कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 4993, 4995 लगायत 4952, 4972 लगायत 4977, 5011 लगा0 5015 कुल खसरा नम्बर 29 कुल क्षेत्रफल 2.75 है0 वाके ग्राम लवाण तह0 लवाण जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट्स के पिता कजोड पुत्र श्रवण हिस्सा 1/4 के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है। अपीलान्ट्स के पिता कजोड पुत्र श्रवण का देहान्त दिनांक 01.07.2021 को हो गया।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय में अपने पिता कजोड पुत्र श्रवण मीना निवासी लवाण की कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने के लिए पटवारी हल्का के नाम प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें सजरा भी अंकित किया तथा इस संबंध में अपीलांट के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया व अपीलांट दीपक मीना ने 50/- रूपयें के स्टाम्प पर शपथ पत्र भी नामान्तरकरण के संबंध में व सजरे के संबंध में पेश किया इसके बावजूद भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लवाण ने अपीलांट को बिना सुने बिना नोटिस दिये तकतरफा में बिना जांच किये मनमाने तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया। जबकि मूल खातेदारी कजोड पुत्र श्रवण मीना के वारिसान अपीलांट्स है। अपीलांट्स के अलावा कजोड पुत्र श्रवण मीना के अन्य कोई वारिस नहीं है। पटवारी हल्का गिरदावर हल्का ने भी इस बात की पुष्टि की है फिर भी ग्राम पंचायत लवाण ने नामान्तरकरण खारिज करने का बिना कोई कारण लिखे या बिना किसी कारण अवैधानिक रूप से अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज कर दिया जबकि अपीलांट्स के हक में भरा गया उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिए था फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से नामान्तरकरण बिना जांच किये व अपीलान्ट्स को सुने बिना ही गलत रूप से खारिज करने कानूनी गलती की है। इसलिए निर्णय निरस्तनीय है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करवाकर मूल खातेदार कजोड पुत्र श्रवण मीना के वारिसान अपीलांट्स के हक में नामान्तरकरण करने का आदेश फरमाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र पेश किया।

अपीलान्ट ने लिखित बहस दिनांक 31.01.2024 को पेश की और अपनी अपनी लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं गहन अध्ययन, मनन किया तो प्रथम दृष्टया इस निस्कर्ष पर पहुचते है कि मृतक कजोड के वारिसान तथा इन्तकाल पर विरासत का

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.03.06 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक ....

प्र.स.:- 01/2023
(GCMS 2023/32)
दायर दिनांक 04.07.2023
निर्णय दिनांक :- 14.02.2024

नामान्तरकरण ग्राम पंचायत लवाण को आलोच्य नामान्तरकरण की जाँच कर निर्णय प्रतिपादित किया जाना चाहिए था कोई जाँच व कारण दर्ज नहीं किए गए उक्त आलोच्य नामान्तरकरण विधि विपरित रूप से अस्वीकार किया गया।

अतः हमाने विनम्र अभिमत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना अपील को अन्तिम निस्तारण के रूप में विधिसंगत है।

आलोच्य नामान्तरकरण अधिनस्थ ग्राम पंचायत लवाण द्वारा बिना समुचित कारण, बिना जाँच अस्वीकार किया गया। इसलिए आलोच्य आदेश दिनांक 05.05.2022 निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

आदेश

अतः ग्राम पंचायत लवाण द्वारा आदेश नामान्तरकरण संख्या 2088 दिनांक 05.05.2022 अपास्त किया जाता है।

तहसीलदार लवाण को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि वह अपीलान्टस व सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मृतक कजोड पुत्र श्रवण के वारिसान की जाँच कर विधि अनुरूप आदेश प्रतिपादित करे।

बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उपजिला कलक्टर लवाण

उक्त निर्णय दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लवाण

उप जिला कलक्टर लवाण

दिनांक ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.03.06 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested